महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-स्थापना/सैटअप/906/78-79/भाग-8/50024-148 दिनांक 27/1/17

आदेश

सयुंक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)डीओपी/ए-II/98 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया जाकर सहायक कारापाल, महामुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी, प्रहरी, डायर, टेलर, कारपेन्टर, एवं ब्लैक स्मिथ के पदों हेतु संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार रेंज को नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 30153 दिनांक 15.11.2006 एवं 36017-142 दिनांक 09.12.2010 व 3125-275 दिनांक 26.04.2012 के अधिक्रमण में संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार रेंज का क्षेत्राधिकार पुनः निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	क्षैत्रिय कार्यालय	कार्य क्षेत्र
1.	उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर	जयपुर एवं भरतपुर मण्डल
2.	उप महानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर	उदयपुर, कोटा एवं अजमेर मण्डल व टी.एस.पी. क्षेत्र (जि./उ.का. बांसवाड़ा,डूंगरपुर,प्रतापगढ,सागवाड़ा, कुशलगढ,आबूरोड,सलूम्बर,झाड़ोल एवं कोटड़ा)
3.	उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर	जोधपुर एवं बीकानेर मण्डल

संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार रेंज के दायित्व तथा अधिकार :-

1. क्षेत्राधीन केन्द्रीय, जिला एवं उप कारागारों के समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण।
2. क्षेत्राधीन संभागीय एवं जिला अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय।
3. क्षेत्राधीन कारागारों में संस्थापित उधोगशालाओं में जेल उधोगो हेतु कच्चे माल का क्रय (सूत को छोड़कर) एवं उत्पादन संबंधी कार्यो का पर्यवेक्षण।
4. अ. क्षेत्राधीन कारागारों का निरीक्षण
   - केन्द्रीय कारागृह — वर्ष में एक बार
   - जिला कारागृह — वर्ष में एक बार
   - उप कारागृह — वर्ष में 50 प्रतिशत उप कारागृहों का

   ब. समस्त कारागृहों उप कारागृहों का अनौपचारिक तथा औचक निरीक्षण (न्यूनतम एक प्रति कारागृह/उप कारागृह)
5. हिरासत में बंदी मृत्यु की प्रशासनिक जॉच

6. जेल से बंदी के फरार, जेल में झगड़ा तथा शान्ति भंग होने पर प्रशासनिक जॉच
7. जनाधिक्य निवारण अथवा बंदी अनुशासन के लिये क्षेत्राधीन कारागृहों में बंदी स्थानान्तरण जिसका अनुमोदन मुख्यालय कारागार से कराया जावे।
8. क्षेत्राधीन जिला कारागृह अ श्रेणी एवं बी श्रेणी पर पदस्थापित अधीक्षक/उपाधीक्षकों एवं प्रभारी के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
9. क्षेत्राधीन कारागृहों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यो की मॉनिटरिंग करना।
10. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग- तृतीय में प्रदत्त विभागाध्यक्ष को बजट संबंधी प्रदत शक्तियों का उपयोग ।
11. प्रारंभिक जांच एवं विभागीय जांच तथा विधि कार्य ।
12. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)डीओपी/ ए-II/ 98 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार रेंज को सहायक कारापाल/महामुख्य प्रहरी/मुख्य प्रहरी/प्रहरी/डायर/टेलर/ कारपेन्टर/ब्लैकस्मिथ पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्राधीन कारागृहों पर पदस्थापित उक्त कर्मचारियों विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करना एवं इनकी अपीलों पर सुनवाई।
13. क्षेत्राधीन कारागृहों की अनुशासनहीनता एवं शिकायत की जांच।
14. क्षेत्राधीन मामलों से संबंधित कारागार मुख्यालय से वांछित समस्त जानकारी भेजना ।
15. क्षेत्राधीन कारागृहों पर पदस्थापित उपाधीक्षकों का (केन्द्रीय कारागृहो पर पदस्थापित को छोड़कर) सेवाभिलेख संधारण।
16. प्रहरियों की वरिष्ठता सूची जारी करना।
17. प्रहरियों का रोस्टर रजिस्टर संधारित करना।
18. विभागीय स्थानान्तरण नीति के तहत प्रहरियों का मण्डल में स्थानान्तरण करना मण्डल से बाहर एवं दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किये जाये। मण्डल से बाहर एवं दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण का प्रकरण पूर्ण औचित्य के तैयार कर मुख्यालय कारागार को भिजवाया जावेगा।
19. किसी भी प्रकार का अटैचमेन्ट मुख्यालय कारागार से बिना अनुमति नहीं किये जायें।
20. क्षेत्राधीन कारागृहों पर पदस्थापित उप कारापाल, कारापाल, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करना एवं इनकी अपील पर सुनवाई ।
21. क्षेत्राधीन कारागृहों पर पदस्थापित सहायक कारापाल/महामुख्य प्रहरी/मुख्य प्रहरी/प्रहरी/डायर/टेलर/कारपेन्टर/ब्लैकस्मिथ को एसीपी स्वीकृत करना।
22. क्षेत्राधीन कारागृहों पर पदस्थापित कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण (नवीन वेतनमान अनुसार) करना।
23. क्षेत्राधीन कारागृहों से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हो सके जिस हेतु मासिक कारागृहों से सूचना प्राप्त करना व निस्तारण हेतु निर्देश जारी करना।
24. क्षेत्राधीन कारागृहों में समन्वयन, संप्रेषण एवं अनुवर्तन-समय समय पर राज्य सरकार व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अधिनियम/नियम/अनुदेश/दिशा

निर्देश/पद्धति आाद क प्रभावी कियान्वयन हेतु समुचित संप्रेषण, समन्वय तथा अनुवर्तन का कार्य करना।

25. क्षेत्राधीन केन्द्रीय, जिला व उप कारागृह का प्रभावी नियंत्रण एवं अधीक्षण- इसके लिये उप महानिरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण किये जायेंगे जिससे विभिन्न जेलों में उत्पन्न आकस्मिक/अनाकस्मिक समस्याओं का स्थानीय अग्रिम स्तर पर नियमों व विवेक के परिप्रेक्ष्य में यथाशीघ्र समाधान हो सके।
26. कारागृहों पर घटित होने वाली घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण व अग्रिम कार्यवाही-क्षेत्राधीन विभिन्न केन्द्रीय/जिला/उप कारागृहों पर होने वाली घटनाओं यथा फरारी, फरारी का प्रयास, झगड़े, नियमों व अनुशासन के उल्लंघन शिकायतों आदि के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र वांछित कार्यवाही व नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाना।
27. नियुक्ति प्राधिकारी पदों के कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति जारी करना।
28. क्षेत्राधीन कारागारों की समस्याओं के निस्तारण/निराकरण हेतु मुख्यालय से पत्र व्यवहार।
29. बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मोनीटरिंग का कार्य।
30. सामान्य वितीय एवं लेखा नियम भाग तृतीय में उल्लेखित ''वितीय शक्तियों का प्रत्यायोजन में अन्तर्विष्ट शक्तियों का उपयोग निम्नांकित मामलों को छोड़कर किया जावेगा।
    (i) विभागाध्यक्ष को बजट संबंधित प्रदत शक्तियों का उपयोग।
    (ii) क्षेत्राधीन कारागृहें पर जेल सुरक्षा कर्मचारियों/अधिकारियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री की कय कार्यवाही।
    (iii) केन्द्रीय भण्डार हेतु कय की जाने वाली किसी भी सामग्री की कय कार्यवाही ।
    (iv) क्षेत्राधीन कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के राशन ठेके से संबंधित कार्य।
    (v) क्षेत्राधीन कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के उपयोगार्थ केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय द्वारा कय की जा रही सामग्री के कय की कार्यवाही।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. वितीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।

4. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
6. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
7. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
8. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
9. समस्त प्रभाराधिकारी उप कारागृह, राजस्थान।
10. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
11. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
13. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
14. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
15. प्रभारी कम्प्यूटर लैब को वास्ते अपलोड हेतु।
16. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर